



Bureau of Indian Standards
(Public Relations Department)

FOR IMMEDIATE RELEASE

Ref No: PRD/Press Note/27/2022-23

Date: 06/03/2023

BIS Guidelines to Ensure Safety in Transportation of Dangerous Goods

The guidelines, known as 'IS 18149:2023 - Transportation of Dangerous Goods — Guidelines', are expected to set a new benchmark for the safe handling and transportation of hazardous materials across the country.

The Bureau of Indian Standards (BIS), the National Standards Body of India, has recently published new guidelines aimed at enhancing safety in the transportation of dangerous goods.

The guidelines, known as 'IS 18149:2023 - Transportation of Dangerous Goods — Guidelines', have been formulated under the Transport Services Sectional Committee, SSD 01, of BIS, and are expected to set a new benchmark for the safe handling and transportation of hazardous materials across the country.

With the aim of standardizing the transportation practices, the BIS guidelines will help ensure that hazardous goods are transported in a safe and secure manner, reducing the risk of accidents and potential harm to people and the environment. Dangerous goods are substances and articles that have explosive, flammable, toxic, infectious or corrosive properties and pose a risk to public safety, property and the environment. The transportation of these goods involves the implementation of adequate measures to ensure their transit in total security and safety.

While the transportation of hazardous goods may be by land, sea, waterways, rail or even by air, the sensitivity and risk factors involved in the process require specific precautions to be taken. These include meticulous packaging and conditioning, specific handling operations during transportation and training and development for persons engaged in transportation and handling of this category of goods.

Further, the IS 18149:2023, provides guidelines on classification, packaging, labelling and marking, handling, documentation, role of stakeholders, training,

transportation, emergency action and provisions for segregation. The dangerous goods referred in the standard include explosives, gases, flammable liquids, flammable solids, oxidizing substances and organic peroxides, poisonous and infectious substances, radioactive substances, corrosive substances and other miscellaneous dangerous substances.

This standard is formulated to provide guidelines for all the stakeholders including vehicle owner's/transport agencies, contractors, consignors, consignees, operators and drivers carrying dangerous goods/substances for the safe transportation of dangerous goods.

Public Relations Department

भारतीय मानक ब्यूरो
(जनसंपर्क विभाग)

तत्काल प्रकाशनार्थ

संदर्भ सं: पीआरडी/प्रेस नोट/27/2022-23

दिनांक: 06/03/2023

खतरनाक वस्तुओं के परिवहन में सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु बीआईएस के दिशानिर्देश

आशा है कि खतरनाक सामग्रियों के सुरक्षित प्रहस्तन और परिवहन के लिए स्थापित के गए नये मानदंड 'आईएस 18149:2023 - खतरनाक वस्तुओं का परिवहन - दिशानिर्देश' देश भर नया बेंचमार्क स्थापित करेंगे।

भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने हाल ही में खतरनाक सामग्रियों के परिवहन में सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से नए दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं।

आशा है कि 'आईएस 18149:2023 - खतरनाक वस्तुओं का परिवहन - दिशानिर्देश' ऐसे दिशानिर्देशों रूप में जाने जाते हैं, जो बीआईएस की परिवहन सेवा विषय समिति, एसएसडी 01 के अंतर्गत निर्धारित किये गये हैं, और देश भर में खतरनाक सामग्रियों के सुरक्षित प्रहस्तन एवं परिवहन के लिए नये मानदंड स्थापित करेंगे।

परिवहन रीतियों को मानकीकृत करने के उद्देश्य से बीआईएस दिशानिर्देश यह सुनिश्चित करने में मदद करेंगे कि खतरनाक वस्तुओं को संरक्षित और सुरक्षित तरीके से कैसे ले जाया जाता है, जिससे दुर्घटनाओं का जोखिम कम होगा और लोगों तथा पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान होगा। खतरनाक वस्तु ऐसे पदार्थ और वस्तुएं हैं, जिनमें विस्फोटक, ज्वलनशील, जहरीले, संक्रामक या संक्षारक गुण होते हैं, और सार्वजनिक सुरक्षा, संपत्ति और पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करते हैं। इन वस्तुओं के परिवहन में संपूर्ण संरक्षा और सुरक्षा में उनके पारगमन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपायों का कार्यान्वयन करना शामिल है।

जबकि खतरनाक वस्तुओं का परिवहन भूमि, समुद्र, जलमार्ग, रेल या वायु मार्ग से हो सकता है, इस प्रक्रिया में शामिल संवेदनशीलता और जोखिम कारकों के लिए विशेष सावधानी बरतने की अपेक्षा होती है। इनमें सावधानीपूर्वक पैकेजिंग और कंडीशनिंग, परिवहन के दौरान विशिष्ट प्रबंधन प्रचालन और इस श्रेणी की वस्तुओं के परिवहन और प्रचालन में लगे व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण एवं विकास शामिल होता है।

इसके अलावा, आईएस 18149:2023, वर्गीकरण, पैकेजिंग, लेबलिंग और मार्किंग, प्रहस्तन, प्रलेखन, हितधारकों की भूमिका, प्रशिक्षण, परिवहन, आपातकालीन कार्रवाई और संपृथक्कन के प्रावधानों पर दिशानिर्देश प्रदान करता है। मानक में निर्दिष्ट खतरनाक वस्तुओं में विस्फोटक, गैसों, ज्वलनशील तरल पदार्थ, ज्वलनशील ठोस पदार्थ, ऑक्सीकरण पदार्थ और कार्बनिक पेरोक्साइड, जहरीले और संक्रामक पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ, संक्षारक पदार्थ और अन्य विविध खतरनाक पदार्थ शामिल हैं।

इस मानक को खतरनाक वस्तुओं के सुरक्षित परिवहन के लिए वाहन मालिकों/ परिवहन एजेंसियों, ठेकेदारों, परेषकों, परेषिती, परिचालकों और खतरनाक माल/ पदार्थ को ले जाने वाले चालकों सहित सभी हितधारकों के लिए दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए निर्धारित किया गया है।